पत्र सं०–6 एस०एस०(6)66/2025–3438 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 06/7/2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (National Livestock Mission-NLM) के तहत "पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना" के राज्य में सफल कार्यान्वयन हेतु कुल रुपये 196.0593 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख पाँच हजार नौ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–4344, दिनांक–03.10.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (National Livestock Mission-NLM) के तहत "पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना" के राज्य में सफल कार्यान्वयन हेतु कुल रुपये 196.0593 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख पाँच हजार नौ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न।

2. सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–24.04.2026 को सम्पन्न राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति–State Level Executive Committee (SLEC) की बैठक में केन्द्र प्रायोजित स्कीम–राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत रुपये 4315.00 लाख के परिव्यय पर Annual Action Plan 2026-27 को अनुमोदित किया गया।

3. उक्त अनुमोदित Annual Action Plan 2026-27 को परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा दिनांक–25.04.2026 को ई–मेल के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त Action Plan में पशुधन बीमा के लिए निम्नांकित विवरणी के अनुरूप रुपये 3595.00 लाख (पैंतीस करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र का परियोजना प्रस्ताव सम्मिलित किया गया :–

(राशि लाख रुपये में)

केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुक का अंशदान	कुल
2053.95	1069.30	471.75	3595.00

1 Typed by Sanjay Kumar

4. भारत सरकार को भेजे गये परियोजना प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के संबंधित पदाधिकारी द्वारा ई–मेल दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से बिहार राज्य हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 100.00 लाख (रुपये एक करोड़) मात्र allocate किये जाने की सूचना दी गयी है तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–99-23/2017/NLM-Bihar (E-6666), दिनांक–19.05.2026 के द्वारा केन्द्रांश के रूप में General Component के तहत रुपये 11.50 लाख (ग्यारह लाख पचास हजार) मात्र एवं Special Component Plan के तहत रुपये 11.50 लाख (ग्यारह लाख पचास हजार) मात्र अर्थात कुल रुपये 23.00 लाख (तेईस लाख) मात्र की राशि Mother Sanction के रूप में विमुक्त की गयी है।

5. भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल allocation के अन्तर्गत केन्द्रांश, समतुल्य राज्यांश तथा लाभुकों के अंशदान (पशुधन बीमा की प्रीमियम राशि का 15 प्रतिशत) के आलोक में कुल रुपये 196.0593 लाख (एक करोड़ छियानवे लाख पाँच हजार नौ सौ तीस) मात्र का व्यय प्रस्तावित है। विस्तृत मदवार विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

6. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के तहत पशुधन बीमा की योजना का कार्यान्वयन "Bihar Livestock Development Agency - BLDA) के माध्यम से किया जायेगा।

7. इस योजना का उद्देश्य पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति से निपटने में सहायता प्रदान करना एवं पशु बीमा के लाभ से पशुपालकों को अवगत कराना है।

8. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा allocate की गयी राशि एवं उसके समतुल्य राज्यांश की राशि से सामान्य घटक के तहत 3117 "पशुधन इकाई" एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के तहत 3117 "पशुधन इकाई" को इस योजना से लाभान्वित किया जाना आकलित है। बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी के द्वारा प्रीमियम की निर्धारित दर के आलोक में Insurance Coverage की अवधि (एक वर्ष, दो वर्ष अथवा अधिकतम तीन वर्ष) के आधार पर लाभुकों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में बीमा कम्पनी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. योजना कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) इस योजना का कार्यान्वयन सम्पूर्ण बिहार राज्य में "Bihar Livestock Development Agency - BLDA" के माध्यम से किया जाना है।

(ii) इस योजना के तहत देशी/संकर नस्ल के दुधारू पशु, भार ढोने वाले पशु (घोड़ा, गदहा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं गो/भैंस प्रजाति के नर पशु) एवं अन्य पशुधन (बकरी, भेंड़, सूकर एवं खरहा) को आच्छादित किया जायेगा।

(iii) इस योजना के तहत अनुदान का लाभ प्रति लाभुक प्रति household 10 (दस) पशुओं तक सीमित रखा जायेगा। सूकर एवं खरहा के मामले में 10 पशुओं को एक "पशुधन इकाई" माना जायेगा तथा योजना का लाभ प्रति लाभुक प्रति household 5 (पाँच) पशुधन इकाई तक सीमित रखा जायेगा। निर्धारित "पशुधन इकाई" से अधिक पशुओं की बीमा कराये जाने की स्थिति में अतिरिक्त पशुओं की पशु बीमा प्रीमियम की पूर्ण राशि का वहन पशुपालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(iv) इस योजना के तहत परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० के द्वारा पशुओं की बीमा के प्रीमियम दर, बीमा प्रक्रिया में सुविधा, बीमा राशि के दावों का निष्पादन तथा अन्य नियम एवं शर्तों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

(v) पशुओं की बीमा उनके Current market price के आधार पर की जायेगी, जिसका आकलन लाभुक एवं संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से पशु चिकित्सक की उपस्थिति में किया जायेगा। बीमा हेतु न्यूनतम मूल्य का निर्धारण गाय हेतु रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन एवं भैंस हेतु रुपये 4000/– (चार हजार) मात्र प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन के आधार पर अथवा सरकार द्वारा स्थानीय बाजार हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जायेगा। भार ढोने वाले पशु (घोड़ा, गदहा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं गो/भैंस प्रजाति के नर पशु) एवं अन्य पशुधन (बकरी, भेंड़, सूकर एवं खरहा) के बाजार दर का आकलन लाभुक एवं संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। बाजार दर के आकलन में विवाद की स्थिति होने पर दर का निर्धारण संबंधित ग्राम पंचायत/प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(vi) बी०एल०डी०ए० के द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कंपनी के साथ किये गये एकरारनामा के अनुसार पशु बीमा प्रीमियम की दर एक वर्ष की पॉलिसी हेतु 2.31% (दो दशमलव तीन एक प्रतिशत), दो वर्ष की पॉलिसी हेतु 4.35% (चार दशमलव तीन पाँच प्रतिशत) एवं तीन वर्ष की पॉलिसी हेतु 6.29% (छह दशमलव दो नौ प्रतिशत) होगी। बीमा प्रीमियम की राशि का 15% (पन्द्रह प्रतिशत) लाभुक के द्वारा वहन किया जायेगा। बीमा प्रीमियम की शेष राशि का 60% (साठ प्रतिशत) केन्द्रांश एवं 40% (चालीस प्रतिशत) राज्यांश से वहन किया जायेगा।

(vii) पशु बीमा के समय पशुओं की स्वास्थ्य जाँच एवं मृत पशुओं का शव–परीक्षण (Post mortem) संबंधित प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(viii) बीमित पशुओं को विधिवत रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्गत 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या युक्त Ear tag दिया जायेगा। किसी अन्य योजना के तहत पशुओं की टैगिंग रहने की स्थिति में पुनः टैगिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वर्तमान टैग के विशिष्ट पहचान संख्या (UID) का ही उपयोग बीमा हेतु किया जायेगा। पहचान चिन्ह के सुरक्षित रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक की होगी। बीमा के समय दो फोटोग्राफ देना होगा। एक फोटोग्राफ पशु का पशु स्वामी के साथ तथा दूसरा फोटोग्राफ स्पष्ट Ear tag युक्त पशु का होना चाहिये।

(ix) बीमा अवधि में लाभुक द्वारा बीमित पशुओं के विक्रय की स्थिति में शेष अवधि हेतु क्रेता को बीमा का हस्तान्तरण हो जायेगा। इस हेतु आवश्यक औपचारिकताओं, शुल्क इत्यादि का निर्धारण बीमा कम्पनी के साथ अनुबंध के समय कर लिया जायेगा।

(x) बीमा के दावे का निष्पादन सुगम होना चाहिये ताकि लाभुक को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। बीमा कम्पनी के साथ अनुबंध के समय समस्त प्रक्रियाओं/आवश्यक अभिलेखों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा। बीमा के दावे का निष्पादन मात्र चार वांछित अभिलेख यथा– (1) बीमा कम्पनी को सूचना, (2) बीमा पॉलिसी दस्तावेज, (3) दावा फार्म एवं (4) पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया जाना होगा। बीमा कराने अथवा बीमा के दावे के निष्पादन हेतु सभी वांछित कागजात/फार्म संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा स्थानीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा पॉलिसी दस्तावेज की पशुपालक प्रति खो जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अविलम्ब द्वितीयक पॉलिसी दस्तावेज निर्गत किया जायेगा।

(xi) वांछित दस्तावेजों के समर्पित किये जाने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बीमा के दावा राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दण्ड स्वरूप संबंधित लाभुक को दिया जायेगा। दावा खारिज किये जाने की स्थिति में संबंधित बीमा कम्पनी के द्वारा पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए दावेदार, जिला मॉनिटरिंग कमिटी एवं बी०एल०डी०ए० को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।

(xii) इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों को देने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा।

(xiii) पशु बीमा के प्रीमियम हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनियों को भारत सरकार द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० द्वारा किया जायेगा।

शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)66/2025 के पृष्ठ–33/टि० पर एवं दिनांक–02.07.2026.

19. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)66/2025 के पृष्ठ–32/टि० एवं डायरी संख्या–429, दिनांक–25.06.2026.

20. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ पटना समाहरणालय कोषागार, पटना/ ई–कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/ योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)66/2025 – 3438 /पटना–15, दिनांक– 06/7 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(xiv) बी०एल०डी०ए० द्वारा योजना के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा, जिसका मासिक प्रतिवेदन संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) पशु बीमा की योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव एवं इस योजना हेतु निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvi) इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभाग की सहमति से परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने पर बी०एल०डी०ए० के Project Governing Council (PGC) द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लेकर योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Module के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India ds Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Module (PFMS) के तहत विभाग द्वारा बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
1	01585501138	BR113-BR NATIONAL LIVESTOCK MISSION (9008)	GOBHSPARSHNLMLINS

उक्त Drawing Account के माध्यम से बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु केन्द्रांश (60 प्रतिशत) एवं राज्यांश (40 प्रतिशत) की कर्णांकित राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–410/वि० दिनांक 12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें अंकित है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तान्तरित किया जाना है।

वित्त विभागीय उक्त पत्र के आलोक में प्रस्तावित योजना के तहत विभिन्न घटकों एवं विषय शीर्षो के तहत राज्यांश की राशि को संगत केन्द्रांश के समरूप घटक/विषय शीर्ष में जोड़ते हुए योजना की स्वीकृति एवं तदनुसार योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

12. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन–National Livestock Mission (NLM)" अन्तर्गत सामान्य घटक के तहत केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) के बजट शीर्ष अन्तर्गत 3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन विषयशीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के तहत केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) के बजट शीर्ष अन्तर्गत 3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के माध्यम से योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) की घटकवार एवं विषयशीर्षवार व्यय विवरणी–''क'' एवं ''ख'' संलग्न है।

13. इस योजना के तहत व्यय को भारत सरकार के स्तर से विभिन्न किस्तों में विमुक्त केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश की राशि के अधीन सीमित रखा जायेगा।

14. वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष के तहत किया जायेगा :–

(i) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–106 –अन्य पशुधन विकास, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0212 –राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02–2403001060212, पी०एफ०एम०एस० कोड–9008.

(ii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, माँग सं०–02, उप शीर्ष–0207 –राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02–2403007890207, पी०एफ०एम०एस० कोड–9008.

15. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निदेशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना होंगे।

17. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के व्यय के उपरान्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संगत प्रावधानों के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

18. चूँकि यह केन्द्र प्रायोजित एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में प्रदत्त वित्तीय

व्यय विवरणी–'क'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (National Livestock Mission-NLM) के तहत "पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना" पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

(सामान्य घटक– विपत्र कोड–02–2403001060212, केन्द्रांश–60 प्रतिशत एवं राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0212.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	83.31741	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना/ ई–कोषागार, सिंचाई भवन, पटना।
	योग :–	**83.31741**		

कुल (रुपये तिरासी लाख एकतीस हजार सात सौ एकतालिस) मात्र।

6/7

सरकार के ~~संयुक्त~~ सचिव

3438
06/7/26

व्यय विवरणी–'ख'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (National Livestock Mission-NLM) के तहत "पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना" पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी:–

(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक– विपत्र कोड 02–2403007890207, केन्द्रांश–60 प्रतिशत एवं राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0207.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	83.31741	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक –सह– बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना/ ई–कोषागार, सिंचाई भवन, पटना।
	योग :–	**83.31741**		

कुल (रुपये तिरासी लाख एकतीस हजार सात सौ एकतालिस) मात्र।

व्यय का सारांश :–

क्र०	व्यय विवरणी	राशि (लाख रुपये में)
1	व्यय विवरणी–"क"	83.31741
2	व्यय विवरणी–"ख"	83.31741
3	लाभुक का अंशदान	29.42448
	कुल योग :–	**196.05930**

कुल (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पाँच हजार नौ सौ तीस) मात्र।

3438
06/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' (National Livestock Mission-NLM) के तहत "पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना" की मदवार अनुमानित व्यय विवरणी।

विवरणी	पशुधन इकाई की संख्या	औसत इकाई मूल्य	तीन वर्ष के लिए अधिकतम बीमा प्रीमियम @6.29%	अनुमानित व्यय (रुपये में)			
				केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुक का अंशदान	कुल (केन्द्रांश+राज्यांश + लाभुक का अंशदान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
इकाई लागत (अनुमानित)	1	50,000	3,145	1,604	1,069	472	3,145
सामान्य घटक							
बीमा प्रीमियम	3117	50,000	98,02,965	49,99,668	33,32,073	14,71,224	98,02,965
कुल (सामान्य घटक)	-	-	-	**49,99,668**	**33,32,073**	**14,71,224**	**98,02,965**
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक							
बीमा प्रीमियम	3117	50,000	98,02,965	49,99,668	33,32,073	14,71,224	98,02,965
कुल (अनु० जाति विशेष घटक)	-	-	-	**49,99,668**	**33,32,073**	**14,71,224**	**98,02,965**
कुल योग :–	-	-	-	**99,99,336**	**66,64,146**	**29,42,448**	**1,96,05,930**

3438
06/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव